संख्या 26.01.2014-एपीडीआरपी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली

दिनांक - 03 दिसम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस)

निम्नांकित घटकों के साथ ''समेकित विद्युत विकास कार्यक्रम'' प्रारंभ करने/के कार्यान्वयन के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरीः-

(i) शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्कों को मजबूत बनाना।

(ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

(iii) आर-एपीडीआरपी के लिए स्वीकृत परिव्यय को आईपीडीएस हेतु अग्रसारित करते हुए 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए सीसीईए के दिनांक 21.06.2013 के अनुमोदन के अनुसार वितरण क्षेत्र का आईटी सशक्तिकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

2. उपरोक्त (i) और (ii) घटकों के लिए अनुमानित परिव्यय रु. 32,612 करोड़ होगा, जिसमें समूची कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से रु. 25,354 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. सीसीईए द्वारा अनुमोदित अनुसार 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना में आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम को वितरण क्षेत्र की आईटी सक्षमता और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण (उपरोक्त घटक (iii)) के पृथक घटक के रूप में इस कार्यक्रम में समाहित किया जाएगा, जिसके लिए सीसीईए रु. 44,011 करोड़ की कार्यक्रम लागत का पहले ही अनुमोदन कर चुकी है, जिसमें रु. 22,727 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। यह परिव्यय उपरोक्त पैरा (ii) में वर्णित अनुसार नए आईपीडीएस कार्यक्रम में अग्रसारित किया जाएगा।

4. कार्यों का क्षेत्र- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब-ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने संबंधी काम शामिल किए जाएंगे, जिनमें सोलर पैनलों के लिए प्रावधान, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, और वितरण क्षेत्र का आईटी सशक्तिकरण

जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कार्यों के क्षेत्र की जानकारी अनुलग्नक-2 में दी गई है।

5. **पात्र विद्युत संस्थाएः** निजी क्षेत्र की वितरण कम्पनियों और राज्य विद्युत विभागों सहित सभी वितरण कम्पनियां इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। निजी क्षेत्र की वितरण कम्पनियों के मामले में, जहां शहरी क्षेत्रों में उनके पास विद्युत आपूर्ति का वितरण है, परियोजनाएं राज्य सरकार की एजेंसी के जरिए कार्यान्वित की जाएंगी और कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार/राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों का होगा। ये परिसम्पत्तियां सम्बद्ध वितरण कम्पनियों को सौंपी जाएंगी, ताकि वे परस्पर सहमत कार्यशर्तों के आधार पर लाइसेंस अवधि में उनका इस्तेमाल कर सकें। इन आस्तियों के प्रचालन और रख रखाव का दायित्व सम्बद्ध वितरण कम्पनियों का होगा।

6. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और परियोजना मूल्यांकन व्यवस्थाः** वितरण कम्पनियां शहरी वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगी और कार्यक्रम की कवरेज के लिए भरोसेमंद विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करेंगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की अनुशंसा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव विद्युत/ऊर्जा की अध्यक्षता के अंतर्गत आर-एपीडीआरपी के लिए राज्य द्वारा गठित मौजूदा वितरण सुधार समिति (डीआरसी) द्वारा की जाएगी। समिति के कार्य क्षेत्र का विस्तार आईपीडीएस को कवर करने के लिए किया जाएगा। डीआरसी नोडल एजेंसी को परियोजनाओं की अनुशंसा करते समय सुनिश्चित करेगी कि कार्यों में कोई दोहरापन न हो। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। नोडल एजेंसी को शुल्क के रूप में कुल परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत अदा किया जाएगा। नोडल एजेंसी परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी और सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

7. **निगरानी समितिः** विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता के अंतर्गत निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। समिति में विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के सदस्य सचिव और संयोजक होंगे। समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्रचालनगत दिशा निर्देशों का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी और उसे समय-समय पर इन दिशा

निर्देशों (अनुलग्नक-2 में दिए गए कार्यक्षेत्र सहित) में संशोधन का अधिकार होगा, जबकि समग्र अनुमोदन सीसीईए द्वारा किया जाएगा। समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखेगी।

8. **तृपक्षीय/द्विपक्षी समझौताः** विद्युत मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी, राज्य सरकार और वितरण कम्पनी के बीच उपयुक्त तृपक्षीय समझौता किया जाएगा ताकि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य विद्युत विभागों के मामले में द्विपक्षीय समझौता किया जाएगा।

9. **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) -** विद्युत संस्था द्वारा परियोजना की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति की जाएगी। कार्यक्रम में किए गए प्रावधान के अनुसार परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) पर व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसका व्यय कार्यों की लागत के 0.5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

10. **कार्यान्वयन अवधिः** कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं विद्युत संस्था द्वारा लेटर आफ अवार्ड (एलओए) जारी करने की तारीख से 24 महीने की अवधि में पूरी की जाएंगी। यदि वितरण कम्पनियां/विद्युत विभाग परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने के कारण निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो प्रस्तावित निगरानी समिति प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर असाधारण मामलों में अवधि का विस्तार करने के लिए अधिकृत होगी।

11. **विद्युत मंत्रालय की समर्थक/सक्षम बनाने वाली गतिविधियाः** कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्युत मंत्रालय की समर्थक/सक्षम बनाने वाली गतिविधियों, जैसे क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करना, निगरानी, क्षेत्र निरीक्षण, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण आदि के लिए कुल परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

12. **वित्त पोषण पद्धतिः** वित्त पोषण व्यवस्था निम्नांकित अनुसार प्रस्तावित की गई है-

एजेंसी	**सहायता का स्वरूप**	**सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)**	
		विशेष श्रेणी राज्यों से इतर	**विशेष श्रेणी राज्य#**

भारत सरकार	अनुदान	60	85
वितरण कम्पनी योगदान	स्व-निधि	10	5
ऋणदाता (वित्तीय संस्थान/बैंक)	ऋण	30	10
निर्धारित उपलब्धियां हासिल करने पर अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक का 50 प्रतिशत (30 प्रतिशत) अर्थात् 15 प्रतिशत	कुल ऋण घटक का 50 प्रतिशत (10 प्रतिशत) अर्थात् 5 प्रतिशत
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित उपलब्धियां हासिल करने पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75 प्रतिशत	90 प्रतिशत

विशेष श्रेणी राज्य (सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)।

* वितरण कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 5 प्रतिशत) है। परंतु, ऋण न लेने की स्थिति में वितरण कम्पनियों का अंशदान 40 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 15 प्रतिशत) तक हो सकता है। यदि वितरण कम्पनियां ऋण नहीं लेती हैं तो निर्धारित उपलब्धियां हासिल करने पर उनकी अतिरिक्त अनुदान की अधिकतम पात्रता 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 5 प्रतिशत) होगी। ऋण घटक पीएफसी अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नोटः- कार्यक्रम में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के मिसिंग लिंकों को दूर करने संबंधी गतिविधियों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सीईए पर नेशनल पावर डेटा हब की स्थापना और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) पर खर्च की गई राशि के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

13. **भारत सरकार द्वारा धन जारी करनाः** भारत सरकार द्वारा निम्नांकित उपलब्धियां हासिल करने पर अनुदान सहायता देने का प्रस्ताव हैः

ट्रांचे संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता जारी करने के लिए शर्तें	भारत सरकार का अनुदान घटक जारी
1	(i) निगरानी समिति द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन (ii) वितरण कम्पनियों, राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के बीच द्विपक्षीय/तृपक्षीय समझौता	10 %
2	विद्युत संस्था द्वारा लेटर आफ अवार्ड (एलओए) प्रदान करना	20 %
3	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान का 90 प्रतिशत उपयोग (प्रथम और द्वितीय ट्रांचे) और वितरण कम्पनी का योगदान शत प्रतिशत जारी होना	60 %
4	कार्यों के पूरा होने के बाद	10 %

14. अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए खास उपलब्धियां (ऋण घटक का 50 प्रतिशत अर्थात् विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5 प्रतिशत और अन्य राज्यों के लिए 15 प्रतिशत) - कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान (अर्थात् ऋण घटक का 50 प्रतिशत) निम्नांकित विशेष उपलब्धियां हासिल करने के अधीन जारी किया जाएगाः-

(क) निर्धारित उपलब्धियों के अनुसार कार्यक्रम को समय पर पूरा करना।

(ख) राज्य सरकारों (वितरण कम्पनीवार) से सलाह मशविरा करने के बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्ग के अनुसार एटी एंड सी हानियों में कमी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा मीटर खपत के आधार पर स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी, यदि कोई हो, को अग्रिम रूप से जारी करना।

15. कार्यक्रम के आर-एपीडीआरपी घटक के अंतर्गत वितरण नेटवर्क सुदृढ़ बनाना और वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने संबंधी गतिविधियों का कार्यान्वयनः- कार्यक्रम के इस घटक के अंतर्गत सभी जारी परियोजनाओं को सीसीईए के दिनांक 21.06.2013 के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा और आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वायदा किए गए/लक्षित कार्य पूरे किए जाएंगे तथा आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय आईपीडीएस में अग्रसारित किया जाएगा। 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के बारे में अनुमोदन की जानकारी देने वाले विद्युत मंत्रालय के आदेश की एक प्रति अनुलग्नक-3 में संलग्न है।

16. डिजिटल/प्रीपेड मीटरिंग, 11 केवी और एलटी लाइनों की अंडरग्राउंड केबलिंग, एटी एंड सी हानियों की सीमाएं आदि चीजों में मानक निर्धारित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में विद्युत प्रणालियों के लिए एक माडल बेंचमार्क 5 जनवरी, 2015 के सीसीईए के अनुमोदन के साथ 45 दिन के भीतर सीईए द्वारा तैयार किया जाएगा।

17. उपरोक्त कार्यक्रम के लिए अपेक्षित व्यय वर्ष 2014-15 हेतु अनुमोदित विद्युत मंत्रालय के बजट अनुदान सं. 2601.035 और परवर्ती वर्षों के सम्बद्ध बजट शीर्षों से घटाया जाएगा।

18. इस मंजूरी के अनुलग्नक-2 में सूचीबद्ध कार्यक्षेत्र वित्त पोषण के पात्र होंगे, बशर्ते वे आर-एपीडीआरपी/आरजीजीवीवाई/एनईएफ आदि भारत सरकार के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न किए गए हों। ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिए भारत सरकार से कोई अन्य अनुदान/सब्सिडी पहले से प्राप्त हो/प्राप्ति प्रस्तावित हो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं समझी जाएंगी। आर-पीडीआरपी के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव विद्युत/ऊर्जा की अध्यक्षता में गठित वितरण सुधार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नोडल एजेंसी को अनुशंसित परियोजनाओं में कार्यों का दोहरापन न हो।

19. नोडल एजेंसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में वित्तीय और भौतिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय और सीईए को भेजेगी।

20. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

21. यह कार्यालय ज्ञापन विद्युत मंत्रालय की वित्तीय शाखा की डायरी संख्या 191/वित्त/2004 दिनांक 01.12.2014 को दी गी सहमति से जारी किया गया।

(बीएन शर्मा)
संयुक्त सचिव
टेलीफोन 23710199

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों के ऊर्जा/वित्त सचिव।
3. राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष/राज्य विद्युत संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रति अग्रसारित -

1. निदेशक, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (डीएस, योजना वित्त डिविजन-2) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
4. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आरके पुरम, नई दिल्ली।
6. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, आर्थिक और सेवाओं संबंधी मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली।
9. 13वां वेतन आयोग, वित्त मंत्रालय, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली।
10. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित -

1. विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
2. सचिव, विद्युत के प्रधान निजी सचिव।
3. एसएस (आरएनसी)/एसएस (डीसी) के निजी सचिव।
4. जेएस (डी)/संयुक्त सचिव एवं एफए/विद्युत मंत्रालय में सभी जेएस के निजी सचिव।

अनुलग्नक-1

आईपीडीएस परिव्यय और जीबीएस आवश्यकता

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने से इतर घटकों के लिए परिव्यय

क्रम सं	**प्रस्तावित कार्य**	**राशि करोड़ में**
क	भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यों के मद	

1	सब-ट्रांसमिशन और वितरण ढांचा (नए/सब-स्टेशन संवर्द्धन, 663322 और 11 केवी लाइन्स, एलटी लाइन्स आदि)	25,342
2	स्मार्ट मीटरों सहित उपभोक्ताओं की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग और डीटी मीटरिंग	1,710
3	जीआईएस सब-स्टेशन (1000 संख्या सब-स्टेशन)	1,500
4	मौजूदा सब-स्टेशनों और लाइनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण	3,000
5	ईआरपी कार्यान्वयन	350
	उप-जोड़ (क)	31,902
ख	भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों के मद	
6	ऑप्टिक फाइबर के मिसिंग लिंक स्थापित करना (राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क-एनओएफएन के अंतर्गत सब-स्टेशनों तक)	120
7	सीईए में नेशनल पॉवर डेटा केंद्र की स्थापना	10
8	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	100
9	परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) शुल्क, कार्यों की कुल लागत के 0.5 प्रतिशत की दर से (क का 0.5 प्रतिशत)	160
	उप-जोड़ (ख)	390
	कुल परियोजना लागत (क+ख)	32,292
ग	नोडल एजेंसी शुल्क और विद्युत मंत्रालय के लिए सक्षमता गतिविधियों हेतु प्रावधान	
10	कार्यों की कुल लागत (क) का 0.50 प्रतिशत की दर से पीएफसी शुल्क	160
11	सक्षमता गतिविधियों के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु प्रावधान, कार्यों की कुल लागत (क) का 0.5 प्रतिशत की दर से	160
	उपजोड़ (ग)	320
	कुल योग (क+ख+ग)	32,612

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाने और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण से भिन्न घटकों के लिए जीबीएस

क्रम	विवरण	विशेष श्रेणी राज्यों से इतर	विशेष श्रेणी राज्य	कुल
1	भारत सरकार द्वारा आंशिक	27,116.70	4,785.30	31,902.00

	वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत			
2	भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में साझा किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना लागत का प्रतिशत	75 प्रतिशत	90 प्रतिशत	-
3	भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किए जे के लिए प्रस्तावित कार्यों हेतु अनुदान घटक	20,337.52	4,306.77	24,644.29
4	भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित कार्यों के लिए कुल लागत	390		390
5	नोडल एजेंसी शुल्क और विद्युत मंत्रालय के लिए सक्षमता गतिविधियों हेतु प्रावधान	320		320
कुल जीपीएस आवश्यकता (3+4+5)				25,354.29 अर्थात् 25,354

अनुलग्नक-2

कार्यों का क्षेत्र

1- सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

सम्बद्ध राज्य वितरण कम्पनियों/विद्युत विभागों द्वारा सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में चिंताजनक अंतराल के लिए सभी सम्बद्ध मानदंडों (जैसे वोल्टेड नियमन, एचटी और एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मरों और लाइनों की अनुकूलतम लोडिंग, रिएक्टिव पॉवर मैनेजमेंट, पॉवर फेक्टर सुधार, कार्य निष्पादन मानदंड, अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी कार्यों आदि) के आधार पर अध्ययन/मूल्यांकन कराए जाने के अधीन निम्नांकित कार्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाने के पात्र समझे जाएंगे।

(i) असोसिएटिड 66 केवी/33 केवी/22 केवी/11 केवी लाइनों पर जीआईएस सहित नए सब-स्टेशनों का निर्माण

(ii) उच्चतर क्षमता/अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर और तत्संबंधी उपकरण/स्विचगियर आदि की स्थापना के जरिए मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाना

(iii) मौजूदा लाइनों के संवर्धन सहित री-ओरिएंटेशन/री-अलाइनमेंट के लिए एचटी लाइनों का निर्माण

(iv) असोसिएटिड एलटी लाइनों के साथ नए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना और मौजूदा वितरण ट्रासफार्मरों की क्षमता बढ़ाना

(v) कैपेसीटरों की संस्थापना

(vi) मौजूदा सब-स्टेशनों और लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

(vii) घनी आबादी वाले क्षेत्रों और पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाना

(viii) उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)

(ix) चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए एरियल बंच्ड केबल

(x) आईटी अनुप्रयोग

(क) ईआरपी

(ख) ग्राहक देखभाल सेवाएं

2- मीटरिंग

(i) फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों और वर्तमान में बिना मीटर वाले कनेक्शनों से सम्बद्ध सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त स्टेटिक मीटर लगाना, खराब मीटरों को बदलना और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर लगाना

(ii) उपभोक्ताओं के परिसरों के बाहर सम्बद्ध केबलों और अनुषंगी वस्तुओं सहित मीटरों की पुनर्स्थापना के लिए पिलर बॉक्स लगाना

(iii) सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड/स्मॉर्ट मीटरों की संस्थापना

(iv) उन कस्बों में एएमआई स्मॉर्ट मीटर लगाना, जिनमें आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत एससीएडीए की स्थापना की जा रही है

(v) 5000 से अधिक आबादी वाले गैर-आर-एपीडीआरपी कस्बों की रिंग फेंसिंग के लिए बाउंडरी मीटर

(vi) फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर और हाई लोड उपभोक्ताओं के लिए एएमआर

3- पहले से जारी आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम को 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के बारे में सीसीईए द्वारा दिनांक 21.06.2013 को किए गए अनुमोदन और प्रयोज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को आईटी सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण' घटक।

4- राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना के अंतर्गत सभी 33 केवी अथवा 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर मिसिंग लिंकों को पूरा करना

5- सीईए में राष्ट्रीय विद्युत आंकड़ा केंद्र की स्थापना

6- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

7- सौर पैनल का प्रावधान करना

उपरोक्त कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र समझे जाएंगे, बशर्ते प्रस्तावित कार्य क्षेत्र आर-एपीडीआरपी/आरजीजीवीवाई/एनईएफ आदि तरह के भारत सरकार के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर न होते हों। ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिए भारत सरकार से कोई अनुदान/सब्सिडी पहले से प्राप्त हुई हो/प्राप्त होना प्रस्तावित हो, को इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नहीं समझा जाएगा। राज्यों द्वारा आर-एपीडीआरपी के लिए मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विद्युत/ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर गठित वितरण सुधार समिति (डीआरसी) नोडल एजेंसी को परियोजनाएं अनुशंसित करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यों में कोई दोहराव न हो।

कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए अपात्र मदों की सूची

1. भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले से कवर किए गए कार्य
2. ऐसे कस्बों में एएमआई, जहां आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत एससीएडीए की योजना न बनाई गई हो
3. सब-स्टेशन से इतर सिविल कार्य
4. उपभोक्ताओं के लिए सर्विस लाइन
5. परिसम्पत्तियों और उपभोक्ताओं का जीएसआई सर्वेक्षण
6. सब-स्टेशनों के लिए भूमि की लागत
7. मार्ग के अधिकार के लिए मुआवजा

8. वितरण ऑटोमेशन और आईटी अनुप्रयोग (ईआरपी और ग्राहक देखभाल सेवाओं को छोड़कर)
9. कार्यालय उपकरण/फिक्सचर्स
10. हिस्से पुर्जे (विनिर्माता द्वारा निर्धारित हिस्से पुर्जों को छोड़ कर)
11. उपकरण और संयंत्र (टी एंड पी)
12. वाहन
13. वेतन और स्थापना व्यय

अनुलग्नक-3

संख्या 14/01/2011-एपीडीआरपी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110001

दिनांकः जुलाई 8, 2013

आदेश

विषयः 12वीं/13वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का जारी रहना।

मंत्रालय के पूर्ववर्ती आदेश संख्या 14/04/2008-एपीडीआरपी दिनांक 19 सितम्बर, 2008 के अनुक्रम में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को 12वीं/13वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए (12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु रु. 10,830 करोड़ और 13वीं पंचवर्षीय योजना हेतु रु. 11,897 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ) राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी इस आदेश के तहत दी जा रही है। परिव्यय और जीवीएस का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

2. उपरोक्त मंजूरी आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहले से मंजूर की गई परियोजनाओं और समनुरूप ऋण को अनुदान में बदलने, को आगे जारी रखने के लिए है। जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि भाग-क, एससीएडीए और भाग-ख परियोजनाएं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में मंजूर की जाएंगी, वे 13वीं पंचवर्षीय योजना में भी जा सकती हैं, अतः

उपरोक्त मंजूरी स्पिलओवर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समनुरूप ऋण को अनुदान में बदलने को भी कवर करेगी।

3. आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भाग-क परियोजनाओं के पूर्ण होने की समय सीमा सभी राज्यों के लिए ऋण को अनुदान में बदलने हेतु 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है अर्थात् भाग-ख परियोजनाएं मौजूदा 3 वर्ष की अवधि की बजाए मंजूर किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी करनी होंगी।

4. नवीकरण/प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए भाग-ग के अंतर्गत वित्त पोषण की राशि बढ़ाई जा रही है। कार्यक्रम में भाग-ग के लिए मंजूर किए गए 1,170 करोड़ रुपये के परिव्यय में से नवीन प्रौद्योगिकी, स्मॉर्ट ग्रिड आदि के क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए निर्धारित 50 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा कर 250 करोड़ रुपये किया जा रहा है और यह वृद्धि कार्यक्रम के भाग-ग और घ के अन्य घटकों से अनुमानित बचत से जुटाई जाएगी।

5. भाग-ख परियोजनाओं की कवरेज उन सभी एससीएडीए पात्र कस्बों तक की जा रही है, जिनमें केवल एससीएडीए सक्षम विद्युत घटकों के लिए एटी एंड सी हानियों का स्तर 15 प्रतिशत से कम है, जबकि अभी तक केवल ऐसे कस्बे पात्र समझे जाते थे, जिनकी एटी एंड सी हानियां 15 प्रतिशत से अधिक हैं। ऐसे मामलों में ऋण को अनुदान में बदलने के लिए समुचित दिशा निर्देशों को आर-एपीडीआरपी की संचालन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

6. भाग-ख परियोजनाओं की कवरेज का भी विस्तार धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बों तक किया जा रहा है। भले ही कस्बे की एटी एंड सी हानियों का स्तर कुछ भी क्यों न हो। परंतु, ऐसे कस्बों की संख्या 10 तक सीमित रहेगी। ऐसे कस्बों में, जहां कहीं पहले से परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, उनके लिए भी पूर्व प्रभाव से अनुमोदन किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए गठित संचालन समिति आर-एपीडीआरपी के प्रयोजन के लिए धार्मिक और पर्यटन महत्व के कस्बों के श्रेणीकरण के लिए पर्यटन मंत्रालय से उचित सलाह मशविरा करके उचित मानदंड तैयार करेगी। ऐसे मामलों में आर-एपीडीआरपी की संचालन समिति ऋण को अनुदान में बदलने के बारे में समुचित दिशा-निर्देश को भी अंतिम रूप देगी।

7. आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत कोई निजी संस्था शामिल नहीं की जाएगी। परंतु, ओडिसा के मामले में सीईएसयू को वित्त पोषण पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसका दर्जा सरकारी के समकक्ष है और ओडिसा सरकार ने ऋण के पुनर्भुगतान और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व स्वीकार किया है।

8. कार्यक्रम के प्रचालन के लिए पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी बनी रहेगी। संचालन समिति, यदि आवश्यक समझे, को अतिरिक्त नोडल एजेंसियां नियुक्त करने का अधिकार है।

9. केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्यक्रम के 51,577 करोड़ रुपये के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में भारत सरकार/वित्तीय संस्थानों से 50,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे/की व्यवस्था की जाएगी। इसमें से अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये अनुदान में बदले जाएंगे। भारत सरकार से कुल अनुदान राशि रु. 31,577 करोड़ होने का अनुमान है। परंतु, वास्तविक जरूरत विद्युत संस्थाओं द्वारा लक्ष्य पूरे करने पर निर्भर करेगी। 5,697 करोड़ रुपये 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,830 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 11,897 करोड़ रुपये की शेष राशि 13वीं पंचवर्षीय योजना में स्पिलओवर होगी।

10. आर-एपीडीआरपी से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तें जैसे कार्यक्रम का क्षेत्र, पात्रता मानदंड, ऋण को अनुदान में बदलने सहित वित्त पोषण की पद्धति, अनुमोदन और निगरानी व्यवस्था आदि, वही होंगी, जो आर-एपीडीआरपी के बारे में 9वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित की गई थीं।

11. इसके अतिरिक्त 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का जारी रहना तत्समय प्रचलित भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन के अधीन होगा।

12. यह आदेश विद्युत मंत्रालय की वित्त शाखा की सहमति से जारी किया गया है, जो डायरी नम्बर 74/फिन/13 दिनांक 08.07.2013 के तहत दी गई थी।

(जी स्वैंज़ालियन)
अवर सचिव (आर-एपीडीआरपी)
टेली. 23705957

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों के ऊर्जा/वित्त सचिव।
3. राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष/राज्य विद्युत संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रति अग्रसारित -

1. कैबिनेट सचिवालय (श्रीमती संजुक्ता राय, निदेशक) राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (डीएस, योजना वित्त डिविजन-2) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
4. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर के पुरम, नई दिल्ली।
6. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, आर्थिक और सेवाओं संबंधी मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली।
9. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली
10. 13वां वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली।
11. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित -

विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
सचिव, विद्युत के प्रधान निजी सचिव।
एएस (एएल)/एएस (डीसी) के निजी सचिव।
संयुक्त सचिव (वितरण)/संयुक्त सचिव एवं एफए/विद्युत मंत्रालय में सभी जेएस के निजी सचिव।

अनुलग्नक

आर-एपीडीआरपी परिव्यय और जीबीएस आवश्यकता

सभी आंकड़े करोड रुपये में

क्र सं	विवरण	भाग-क (आईटी और एससीएडीए)	भाग-ख	कुल (भाग क+ख)	भाग (ग और घ)	कुल योग	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	
1	अनुमोदित परिव्यय	10000	40000	50000	1577	51577	
2	अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा						
2.1	भारत सरकार अनुदान	10000	20000	30000	1577	31577	
2.2	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से निधियां	0	20000	20000	0	20000	
3	मंजूरियां						वित्त वर्ष 2012 तक
3.1	मार्च 12 तक (11वीं योजना)	6639	24776	31415	194	31609	31415 फरवरी 13 तक
	सामान्य राज्य	5791	21502	27293	0	27293	
	विशेष श्रेणी राज्य	847	3275	4122	0	4122	909
3.2	वर्तमान कार्यक्रम (12वीं योजना) के अनुसार शेष	144	9089	9233	1383	10616	32324
	सामान्य राज्य	144	6999	7143		7143	2819
	विशेष श्रेणी राज्य	0	2090	2090		2090	35143
3.3	**नई प्रस्तावित मंजूरी* (12वीं योजना)**	186	1600	1786	0	1786	
	सामान्य राज्य	186	1600	1786		1786	
	विशेष श्रेणी राज्य	0	0	0		0	
	कुल (3.1+3.2+3.3)	6969	35465	42434	1577	44011	
4	मंजूरी पर आधारित प्रतिबद्ध भारत सरकार ऋण	100 प्रतिशत	25 प्रतिशत /90प्रतिशत				वास्तविक अनुदान 25 प्रतिशत
4.1	मार्च 2012 तक (11वीं योजना)	6639	8322	14961	311	15272	

	सामान्य राज्य	5791	5375	11167	0	11167	5375
	विशेष श्रेणी राज्य	847	2947	2794		3794	
4.2	मौजूदा कार्यक्रम (12वीं योजना) के अनुसार शेष	144	3631	6775	1266	5041	
	सामान्य राज्य	144	1750	1894		1894	1750
	विशेष श्रेणी राज्य	0	1881	1881		1881	
4.3	नई प्रस्तावित मंजूरी (12वीं योजना)	186	400	586		586	
	सामान्य राज्य	186	400	586		586	400
	विशेष श्रेणी राज्य	0	0	0	0	0	
	कुल (4.1+4.2+4.3)	6969	12353	19322	1577	20899	
	सामान्य राज्यों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान		7525			7525	7525
	अधिकतम कन्वर्शन पर कुल अनुदान		19878			28424	
5	प्रारंभिक अग्रिम पर आधारित भारत सरकार से प्रतिबद्ध ऋण	100 प्रतिशत	15 प्रतिशत/ (30.30 प्रतिशत)				
5.1	मार्च 12 तक (11वीं योजना)	2062	3441	5503	194	5697	
	सामान्य राज्य	1215	2544	3759	0	3759	
	विशेष श्रेणी राज्य	847	897	1744		1744	
5.2	12वीं योजना में ऋण (11वीं योजना की मंजूरियां)	3242	3622	6864	117	6981	
	सामान्य राज्य	3242	2315	5557	0	5557	
	विशेष श्रेणी राज्य						
5.3	मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार शेष (12वीं योजना)	1307	1307		1307		
	सामान्य राज्य	144	1050	1194		1194	
	विशेष श्रेणी राज्य	0	1254	1254		1254	
5.4	नई प्रस्तावित मंजूरियां (12वीं योजना)	112	240	352		352	

	सामान्य राज्य	112	240	352		352	
	विशेष श्रेणी राज्य	0	0	0		0	
	कुल (5.1+5.2+5.3+5.4) (12वीं योजना तक)	5560	9607	15166	1361	16527	
	सामान्य राज्यों के लिए ब्रेक अप		6149				
	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ब्रेक अप		3458				
	13वीं योजना के लिए शेष	1409	2746	4156	216	4372	
	13वीं योजना तक	6969	12353	19322	1577	20899	
6	भारत सरकार द्वारा आवंटित धन						
6.1	11वीं योजना					5697	
6.2	12वीं योजना					10830	
6.3	13वींयोजना (अभी आवंटित किया जाना है)					0	
	कुल					16527	
7	धन की अनुमानित आवश्यकता						
7.1	11वीं योजना	2062	3441	5503	194	5697	5697
7.2	12वीं योजना	3498	6166	9663	1167	10830	16527
7.3	13वीं योजना	1409	2746	4156	216	4372	20899
	कुल	6969	12353	19322	1577	20899	
8	अनुदान में परिवर्तित ऋण राशि						
8.1	11वीं योजना	0	0	0	194	194	194
8.2	12वीं योजना	4745	9504	14249	1167	15416	15610
8.3	13वीं योजना	2224	10374	12598	216	12814	28424
	कुल	6969	19378	26847	1577	28424	
9	अंतराल						

	11वीं योजना					-5503	-5503
	12वीं योजना					4588	-917
	13वीं योजना					12814	11897
	कुल					11897	

नोटः *इसमें निम्नांकित शामिल हैं -

क	सीईएसयू	186	750	936
ख	धार्मिक कस्बे (संख्या 10)	0	300	300
ग	भाग ख एससीएडीए कस्बे (एटी एंड सी हानियां 15 प्रतिशत से कम)		550	550
	कुल	186	1600	1786

1. 11वीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान मंजूरी का 30 प्रतिशत भाग-क ऋण के अंतर्गत जारी होगा, शेष 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्पिलओवर होगा।
2. भाग-खः 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य राज्यों के लिए 15 प्रतिशत भारत सरकार का ऋण विचारणीय होगा। शेष 10 प्रतिशत 13वीं योजना में स्पिलओवर होगा।
3. भाग खः विशेष श्रेणी राज्यों के लिए भारत सरकार के ऋण का 60 प्रतिशत 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में विचारणीय है। शेष 40 प्रतिशत 13वीं योजना में स्पिलओवर होगा।
4. 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिबद्ध जीबीएस से परे ऋण को अनुदान में परिवर्तन सहित कोई अतिरिक्त धन अपेक्षित नहीं होगा।
5. सभी नई मंजूरियों के लिए ऋण वित्तीय वर्ष 2014/वित्तीय वर्ष 2015 में प्रारंभ होंगे और 13वीं पंचवर्षीय योजना में स्पिलओवर करेंगे।
6. भाग-क के लिए ऋण को अनुदान में बदलने पर 12वीं और 12वीं योजना (5 वर्ष के अंत में) में विचार किया जाएगा।

7. भाग-ख के लिए ऋण को अनुदान में बदलने पर 12वीं योजना और 12वीं योजना (भाग-क का एक वर्ष पूरा होने पर 5 वर्ष के लिए) में विचार किया जाएगा।